उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनभाग–8
संख्या–3654 / नौ–8–2016–02सी.एस. / 12
लखनऊ: दिनांक 17 नवम्बर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका–(सिविल) 309 / 2003, लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अर्द्धशा0 पत्र संख्या–7 / 4 / 2011–ए.डब्लू.डी. दिनांक 02.07.2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1838 / 9–8–12–2सी.एस. / 2012 दिनांक 11.9.12 द्वारा पशुवधशालाओं के संचालन से सम्बन्धित विषयों के कियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन किया गया है।

2. "राज्य स्तरीय समिति" की बैठक दिनांक–31.08.2016 में यह तथ्य संज्ञान में आया कि समिति में भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है, किन्तु किसी भी बैठक में उनके द्वारा अभी तक प्रतिभाग नही किया गया। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया। उक्त के अतिरिक्त पशुवधशालाओं में लाये जाने वाले पशुओं के परिवहन हेतु केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया। तदनुसार शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–11.9.2012 द्वारा पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति में पूर्व नामित सदस्यों के अतिरिक्त प्रमुख सचिव / सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग को भी सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1838 / नौ–8–12–02सी0एस0 / 2012 दिनांक 11.09.2012 एवं 20.11.2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.09.12 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगें।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–3654(1)/नौ–8–2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को उनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या–7/4/11–ए.डब्लू डी. दिनांक 02.07.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11– प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
12– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन।
14. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सेन्ट्रल फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स अथारिटी आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
15. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ उत्तर प्रदेश।
16. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
17. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। द्वारा निदशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. श्री मनवीर सिंह चिकारा, आवास विकास कालोनी–1 टेम्पो स्टैड अमरोहा।
17. श्री जफर अमीन "डक्कू", निवासी खोखरटोला,गीता प्रेस, गोरखपुर।
18. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेषकार्याधिकारी।